संख्या ए- A-12018/02/2015-एन.टी.एच. भारत सरकार उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय उपभोक्ता मामले विभाग

गैलरी संख्या 12/2, जामनगर हाऊस, नई दिल्ली-110011, दिनांक 03 मार्च, 2017

सेवा में,

महा निदेशक, राष्ट्रीय परीक्षण शाला, सेक्टर- V, सी0 पी0 ब्लॉक, साल्ट लेक, कोलकाता-700 091

विषय: सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें – राष्ट्रीय परीक्षण शाला में लेखा अधिकारी के पद हेतु भर्ती नियमों में संशोधन।

महोदय,

मुझे, उपर्युक्त विषय पर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 9 अगस्त, 2016 के का॰ ज्ञा॰ संख्या एबी 14017/13/2016-स्थापना(आर.आर.) का सन्दर्भ देने और सा0का0िन0 सं0 30 दिनांक 02.02.2017 द्वारा भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3,उप-खंड (i) में अधिसूचित किए गए, राष्ट्रीय परीक्षण शाला में लेखा अधिकारी के पद हेतु संशोधित भर्ती नियम, 2017 की एक प्रति अभिलेख और कार्यालय उपयोग के लिए भेजने का निदेश हुआ है। ये भर्ती नियम egazette.nic.in की वेबसाईट पर भी इस मंत्रालय के नाम से उपलब्ध हैं।

संलग्नक : यथोक्त

(डी0 के0 सोनकर्र)

उप निदेशक (एन0टी0एच0)

दूरभाष: 23073612

ई-मेल: d-sonker@nic.in

sle

प्रति:

- 1. राष्ट्रीय परीक्षण शाला की सभी क्षेत्रीय शाखाओं के निदेशक/वैज्ञानिक-प्रभारी।
- 2. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, स्थापना (आर.आर.)प्रभाग, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
- 3. सचिव, संघ लोक सेवा आयोग [ध्यानाकर्षण: श्री बी.एस. हीट, अवर सचिव (आर.आर.)]
- 4. एल-1, विधायी विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली (राजभाषा) एवं (अंग्रेजी)।
- 5. संसद भवन पुस्तकालय, संसदीय सौंध, संसद मार्ग, नई दिल्ली (दो प्रतियां)।
- 6. गार्ड फाईल



प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 04]

नई दिल्ली, जनवरी 29—फरवरी 4, 2017, शनिवार/माघ 9—माघ 15, 1938

No. 04]

NEW DELHI, JANUARY 29—FEBRUARY 4, 2017, SATURDAY/MAGHA 9—MAGHA 15, 1938

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 25 जनवरी, 2017

सा.का.िन. 20.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और बी सी जी वैक्सीन प्रयोगशाला, गिंडी, मद्रास (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 1981 को, उन बातों के सिवाय जहां तक उनका संबंध स्टोर कीपर के से है अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, के बी सी जी वैक्सीन प्रयोगशाला, गिंडी चेन्नई में स्टोर कीपर के पद पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, बी सी जी वैक्सीन प्रयोगशाला, गिंडी, चेन्नई, स्टोर कीपर श्रेणी (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2017 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

(69)

367 GI/2017

New Delhi, the 1st February, 2017

- G.S.R.29.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Human Resource Development, Directorate of Adult Education, Lower Division Clerk, Group 'C' post Recruitment Rules, 2013, namely:
- 1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Human Resource Development, Directorate of Adult Education, Lower Division Clerk, Group 'C' Post Recruitment (Amendment)Rules, 2016.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Ministry of Human Resourse Development, Directorate of Adult Education, Lower Division Clerk, Group 'C' post Recruitment Rules, 2013,-
- (a) (1)in rule 2,for the words" pay band and grade pay or pay scale" at both the places where they occur, the words "level in the pay matrix" shall be substituted;
- (2) in the Schedule in column (4),-
- (i) for the heading, the following heading shall be substituted, namely;

"LEVEL in the PAY MATRIX";

(ii) for the entries, the following entries shall be substituted, namely:-

"LEVEL 2 (Rs.19900-63200)in the Pay Matrix".

(b) In column(10), for the entries, "the grade pay of Rs.1800/-" at both the places where they occurs, the entries "level 1 (Rs.18000-56900) in the pay matrix" shall be substituted.

[F. No. 19-63/2009-A.E.-I]

JUGLAL SINGH, Dy. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Part-II, Section-3, Sub Section (i) vide Notification Number G.S.R. 188 dated the 30th July, 2013.

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग)

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2017

- सा.का.िन. 30.—राष्ट्रपित, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राष्ट्रीय परीक्षणशाला, लेखाधिकारी, भर्ती नियम, 2016 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग, राष्ट्रीय परीक्षण शाला में लेखाधिकारी के पद की भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात्:-
- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ: (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, राष्ट्रीय परीक्षणशाला, लेखाधिकारी,भर्ती नियम, 2017 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन-मैट्रिक्स में स्तर पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन-मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 3. भर्ती की पद्धित, आयु सीमा, शैक्षिक अर्हताएं, आदि- भर्ती की पद्धित, आयु सीमा, शैक्षिक अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- निरर्हताः वह व्यक्ति-
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या
 - (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है:

उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 5. शिथिल करने की शिक्त:- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, आदेश द्वारा और वहां उनके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग के साथ विचार-विमर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 6. व्यावृत्ति: इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन-मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है अथवा अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
लेखा अधिकारी	2* (2017) (* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'ख' (राजपत्रित), अनुसचिवीय	वेतन-मैट्रिक्स में स्तर 7, 44900-142400/- रुपये	लागू नहीं होता

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नति के मामले में लागू होगी	परिवीक्षा अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति –भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा था)

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन किया जाएगा

(11)

प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी हो):

- (क) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों या कानूनी एवं स्वायत्त निकायों के अधीन अधिकारी:-
 - (i) जो मूल कॉडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या

- (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन- मैट्रिक्स में स्तर 6, 35400-112400/-रुपये या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की हो, और
- (ख) निम्नलिखित में से कोई एक अर्हता:

आवश्यक:

- (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी विषय में डिग्री के साथ किसी सरकारी या पब्लिक सेक्टर के उपक्रम या स्वायत्त निकाय या कानूनी संगठन में रोकड़, लेखा तथा बजट कार्य में 3 वर्ष का अनुभव हो, अथवा
- (ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी विषय में डिग्री के साथ सचिवालीय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान या भारत सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी अन्य प्रशिक्षण संस्थान से रोकड़ एवं लेखा में पूर्ण प्रशिक्षण सहित रोकड़, लेखा तथा बजट कार्य में 3 वर्ष का अनुभव हो।

वांछनीय:

- (क) भारत सरकार के संगठित लेखा विभागों में से किसी एक द्वारा आयोजित की जाने वाली अधीनस्थ लेखा सेवा परीक्षा उत्तीर्ण की हो, या
- (ख) वाणिज्य या प्रबंधन या व्यवसाय अध्ययन में बैचलर डिग्री।
- टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2: प्रतिनियक्ति द्वारा नियक्ति के लिए अधिकतम आय सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से
- टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2016 से पहले या उस तारीख से जिससे सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का वेतन मैट्रिक्स में सामान्य स्तर सिहत एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए वेतन-मैट्रिक्स में स्तर बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी वेतन मैट्रिक्स में स्तर पर की गई सेवा समझी जाएगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियां जिनमें संघ लोक सेवा आयोग से भर्ती करने के लिए परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. ए.-12018/02/2015-एनटीएच]

डी. के. सोनकर, उप निदेशक (राष्ट्रीय परीक्षण शाला)

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

New Delhi, the 2nd February, 2017

G.S.R. 30.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, the National Test House, Accounts Officer Recruitment Rules, 2016, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Accounts Officer in the

National Test House, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Department of Consumer Affairs, namely:-

- 1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, the National Test House, Accounts Officer, Recruitment Rules, 2017.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Number of post, classification, level in the pay matrix.-The number of post, its classification, level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. Method of recruitment, age-limit, educational qualifications, etc..—The method of recruitment, age-limit, educational qualifications and other matters relating to thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the Schedule.
- 4. Disqualifications.—No person,-
- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

Shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and that there are other grounds, for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient so to do, it may, by order and for the reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other Backward Classes, ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection post or non-	Age- limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	selection post	(6)
Accounts Officer	2* (2017) (*Subject to variation dependent on workload)	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Ministerial.	Level 7 in the pay matrix, Rs.44900- 142400/-	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees		Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By Deputation (including short term contract)

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption to be made

(11)

Deputation (including short term contract)

- (A) Officers under the Central Government, State Government or Union Territories or Public Sector Undertakings or Statutory and Autonomous Bodies:-
- (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department, or
- (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in level 6 in the pay matrix, Rs.35400-112400/- or equivalent in the parent cadre or department; and

(B) possessing any one of the following qualifications:

Essential:

- (i) Degree in any subject from a recognised university with three years experience in Cash, Accounts and Budget work in a Government Office or Public Sector Undertaking or Autonomous Bodies or Statutory Organisation; or
- (ii) Degree in any subject from a recognised university with three years experience in Cash, Accounts and Budget work with completed training in Cash and Accounts Work from Institute of Secretariat Training and Management or any other training Institute recognised by Government of India.

Desirable: -

- (a) Pass in the Subordinate Accounts Service examination conducted by any one of the Organised Accounts Departments of Government of India; or
- (b) Bachelor's degree in Commerce or Management or Business Studies.
- Note 1: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.
- Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of the receipt of application.
- Note 3: For the purpose of appointment on deputation (including short term contract) basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2016 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Seventh Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding level and the pay matrix extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scales of pay into one grade with a common level and the pay matrix and where this benefit will extend only for the post(s) for which that level and the pay matrix is the normal replacement grade without any upgradation.

If a Departmental Promotion committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment		
(12)	(13)		
Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.		

[F. No. A-12018/02/2015-NTH]

D. K. SONKER, Dy. Director (NTH)

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2017

सा.का.िन. 31.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राष्ट्रीय परीक्षण शाला, कोलकाता और इसके क्षेत्रीय कार्यालयों में वैज्ञानिक सहायक भर्ती नियम, 2015 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग के अधीन राष्ट्रीय परीक्षण शाला कोलकाता और इसके क्षेत्रीय कार्यालयों में वैज्ञानिक सहायक के पद की भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है; अर्थात्:-